


चायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज नरपती बनाम प्रमरासिंह मु. सं. 96/23 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 4.02.25 | <p>आप पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी व पार्थगिण को रुक-रुक कर कई बार आवाप्य फिलवायी गयी किन्तु कोई भी इपारखिए नही आया। अपार्थगिण की तलबी हेतु कई बार अवमल फित्री जा चुके हैं परन्तु वकील पार्थी द्वारा तलवाण सम्मान पेश नही किया। ऐनी तलबती में यह स्पष्ट होता है कि वकील पार्थी व पार्थगिण अपने पार्थग पत्र के प्रति गंभीर नही हैं।</p> <p>अतः पार्थग पत्र के वकील पार्थी व पार्थगिण की अफत दावती व अफत पैरवी में खवाटिय किया जाता है। अपार्थगिण के विरुद्ध जारी अंतर्दिन अलवाइ सिषेद्याजा दिनांक 18.09.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फेलत शुगर सेकर मूल बरद खलव रहे।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा </p> | |